App-A
Crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर मुकाम रानी

हरीगराम | बरदाराम बनाम कमलादेवी | कीकाराम

212 RTA नं. 51 सन् 2019

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
9-10-19 वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी गण की ओर से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थी गण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17-10-19 को पेश हो सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी	
17-10-2019 वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 01 से 04 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 01 से 03 की ओर से वकील राजेन्द्र गौतम ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र 212 RTA पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22.10.19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी	
22-10-2019 वकील प्रार्थी - अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि गाँव बिजोवा के ख.न. 612, 613, 617 618 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.88 हैक्टेयर सहायक कलेक्टर	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर अहकाम जो तामिल

भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई कीकाराम उर्फ सुरेश के पिता वरदाराम पुत्र दलाजी की खातेदारी व स्वामित्व आधिपत्य व कब्जासुदा थी। वरदाराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रार्थीगण व प्रार्थी के भाई कीकाराम एवं उनकी माता धापू बेवा वरदा की खातेदारी दर्ज हुई जो म्यूटेशन सं. 322 से स्वीकृत हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 01 के पति सुरेश की माता धापू पत्नि वरदा की मृत्यु के बाद उनकी चार पुत्रियों के द्वारा हकतर्क करने से उक्त म्यूटेशन सं. 1328 दिनांक 30-01-2014 मंजूर किया गया जिससे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी सं. 01 से 03 व अप्रार्थी 01 के पति सुरेश उर्फ कीकाराम का नाम दर्ज हुआ। हकतर्क नामे में धापू की मृत्यु के बाद उसकी चार पुत्रियों के अलावा एक पुत्री रम्भादेवी भी थी जिसने अपने भाईयों के पक्ष में हकतर्क नहीं करवाया। रम्भादेवी की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण से प्रार्थी सं. 4/1 इसका वैध वारिश है अतः उपरोक्त आराजी में इसका भी हिस्सा बनता है। अप्रार्थी सं. 01 के पति सुरेश की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि कमला (अप्रार्थी सं. 1) के नाम से म्यूटेशन सं. 1721 खातेदारी में दर्ज हुआ। वकील प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी सं. 01 कमला अपने पति की मृत्यु के बाद किसी और से नाता कर चुकी है इसलिए विवादित आराजी में उसका हक हिस्सा नहीं बनता है।

सहायक कलेक्टर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
अप्रार्थी सं. 01 कमला ने वादग्रस्त आराजी मे से अपना हिस्सा अप्रार्थी सं. 02 बाबूलाल को 3/20 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 03 मोडाराम को 1/10 हिस्सा जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया जिसका म्युटेशन सं. 1778 दिनांक 13-9-19 व म्युटेशन 1780 दिनांक 20-9-19 को भरा गया। उक्त दोनो म्युटेशन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, जल्दबाजी मे पटवारी, आर. आई व सरपंच की मिलिभगत, लोभ प्रलोभन देकर भरवाए गये है। वकील प्रार्थी ने बताया कि उक्त म्युटेशन सरपंच ने अपने हस्ताक्षर द्वारा ही स्वीकृत किया है जिसपर प्रस्ताव सं. का उल्लेख नही है तथा म्युटेशन कोरम के अभाव मे ही स्वीकृत किया जो सरासर गलत है। वकील प्रार्थी ने बहस मे जाहिर किया कि अप्रार्थी सं. 2 व 3 दिनांक 25.09.19 को गुंडा तत्वो को साथ लेकर उक्त विवादित आराजी के मौके पर आए एवं जबरन कब्जा लेने का प्रयास किया प्रार्थीगण को ज्ञात होने पर P.S. रानी मे रिपार्ट दर्ज करवाई इसके बाद भी अप्रार्थी सं. 02 व 03 के नही मानने पर प्रार्थी आज 26-9-19 को अति. पुलिस अधीक्षक बाली को परिवाद पेश किया जिसपर P.S. रानी ने धारा 151 CrPC के तहत कार्यवाही कर अप्रार्थी को शांति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया। वकील प्रार्थी ने बताया कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी 01 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है फिर भी अप्रार्थी 01 ने	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो तामिल में
	अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया तथा अब अप्रार्थी सं. 02 व 03 विवादित आराजी पर कब्जा लेने के लिए आमादा है जबकि विधिनुसार जबतक रिकार्ड मे बंटवारा नही हो जाता अप्रार्थी की स्थिति अजनबी क्रेता की है और उन्हे प्रार्थी की भूमि मे दखल का कोई अधिकार नही है। जबतक बंटवारा नही हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक ईंच पर बराबर अधिकार है। वकील प्रार्थी ने हिमताराम जाति प्रजापत नि. बिजोवा का शपथ-पत्र पेश किया जिसमे हिमताराम ने बताया कि उक्त विवादित आराजी मे प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। ~~वकील~~ वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जो इस प्रकार है— (i) 2011-12 (Sup.) RRT, P.N. 662 (ii) 2007 (1) RRT P.N. 422 (iii) 2001/(1) RRP P.N. 20 (iv) 1996 RRD P.N. 148 (v) 2003 (1) RRT P.N. 516 वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करमावे। वकील अप्रार्थी सं. 01 से 03 ने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी 01 कमला देवी के पति सुरेश उर्फ ओकाराम के जीवन काल मे ही वरदाराम पुत्र ~~बरदाराम~~ दलाजी जो अप्रार्थी 1 के ससुर लगते है उनकी उपरोक्त खातेदारी का आपसी भाईयो के बीच बंटवारा हो चुका था और सभी रिकार्ड	

सहायक कलेक्टर (SDO) ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

खातेदारो का नाप चौक करके अलग-अलग बंट कर दिया था और रिकार्डेड खातेदार के घोशणाली व माह लगाकर शान्तिपूर्वक अपना अपना कब्जा व काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हिस्से की बंट खातेदारी मे अपने निजी खर्चे से खेत पर रहवासी मकान व ट्यूबवेल खुदवाया था जो अप्रार्थी 01 का अपना सेपरेट पजेशन है एवं शान्तिपूर्वक बिना किसी दखलअन्दाजी के कब्जा काश्त है।

अप्रार्थी वकील ने कथन किया कि प्रार्थी वकील का यह कहना पूर्णतः गलत है कि हकतर्क एवं म्यूटेशन की प्रक्रिया विधिसम्मत नही थी। हकतर्क एवं म्यूटेशन जो राजस्व की प्रक्रिया है वह नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी सं. 5/1 की माता रम्भादेवी जो वरदा की पुत्री थी उसकी मृत्यु 16-17 वर्ष पूर्व हो चुकी है उसके हक एवं अधिकारी को इस प्रार्थना-पत्र मे तय नही किया जा सकता।

अप्रार्थी वकील ने बताया कि कमलादेवी का म्यूटेशन नियमानुसार भरा गया है। वकील प्रार्थी का यह कहना सरासर गलत है कि कमला देवी द्वारा पुनर्विवाह किया गया है अप्रार्थी कमला को अपने हक हकूक की खातेदारी को बेचने का पूर्ण अधिकार है जो कि उसने अप्रार्थी 2 व 3 को जरिये रजिस्ट्री बेचान किया है तथा नियमानुसार ही उसका म्यूटेशन भरा गया है जिस खातेदारी मे मेरा बंट था उसी पर अप्रार्थी सं. 2 व 3

सहायक कलेक्टर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारी[illegible] अहकाम जो इस [illegible] तामिल में जारी
	को कब्जा सुपुर्द किया और वर्तमान मे इनका ही कब्जा काश्त है। कमला देवी का अपने पति के जीवन काल से ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा है अतः वकील प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित आराजी पर सिर्फ प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त रहा है। कमलादेवी ने अपने हिस्से की जमीन मे एक कमरा तथा ट्यूबवेल खुदवाया है जिससे सिंचाई हेतु भूमिगत ~~ट्यूबवेल~~ पाइपलाइन बिछाई हुई है। वर्तमान मे मौके पर अप्रार्थी 2 व 3 का कब्जा काश्त है अतः अप्रार्थी 02 व 03 अजनबी क्रेता न होकर सह-खातेदार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का मौके पर अलग-2 कब्जा काश्त है तथा धोरापाली व माठ की हुई है। इसलिए वकील प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण द्वारा उनकी खातेदारी मे दखल अंदाजी की जा रही है। प्रार्थीगण अपने हिस्से मे काबिज़ है तथा अप्रार्थी 2 व 3 अपने हिस्से मे है। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि वकील प्रार्थी प्रार्थना-पत्र मे कहीं भी यह सिद्ध नही कर पाए है कि प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष मे है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का. खारीज फरमावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

पेश किये गये :-

(i) RRT 2013 (2) P.N. 828

(ii) RRT 2007 (1) P.N. 103

(iii) RRD 1987 P.N. 330

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया साथ ही न्यायिक दृष्टान्तो का मनन किया गया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अप्रार्थी 01 कमलादेवी ने अपने हिस्से का बेचान किया हैं तथा अप्रार्थी 02 व 03 अपने हिस्से पर काबीज हैं। अप्रार्थी 01 कमलादेवी के बेचान एवं म्यूटेशन संख्या 1778 व 1780 के जरिये अप्रार्थी सं. 02 व 03 विवादित आराजी के सहखातेदार बन चुके हैं एवं जरिये रजिस्ट्री कब्जा भी प्राप्त कर चुके हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला किसी एक के पक्ष मे नही बन रहा हैं। चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 2 व 3 सहखातेदार है अतः किसी एक के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं [RRT 2013 (2) 828] अतः प्रकरण मे मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके व रेवड़ की यथास्थिति बनाए रखेंगे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक दूसरे के हिस्से मे दखल नही करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner